इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2755

21 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

इस्पात के वैश्विक उत्पादन के संबंध में विश्व इस्पात संघ का प्रतिवेदन

2755. डॉ. वी. मैत्रेयन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यू.एस.ए.) के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इस्पात के वैश्विक उत्पादन में क्रमिक रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात के वैश्विक उत्पादन में हो रही गिरावट के इस्पात उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव तथा साथ ही सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली भावी नीति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) देश में इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या-क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) एवं (ख): डब्ल्यू एस ए के अनुसार वर्ष 2010 से विश्व में क्रूड स्टील के उत्पादन में वृद्धि हो रही है यद्यपि इसकी दर काफी कम है। वृद्धि की दर में गिरावट हो रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

क्रूड स्टील का वर्ष-वार उत्पादन

वर्ष	मिलियन टन	% वृद्धि
2002	904	
2003	970	7.3
2004	1061	9.4
2005	1147	8.0
2006	1249	8.9
2007	1347	7.8
2008	1341	-0.4
2009	1236	-7.9
2010	1432	15.8
2011	1518	6.1
2012	1548	2.0
स्त्रोत: वर्ष 2011 तक उत्पादन हेतु डब्ल्यू एस ए स्टेटिकल ईयरबुक		
वर्ष 2012 के आउटपुट के लिए 22 जनवरी, 2013 को मीडिया को जारी सूचना।		

जारी/-

(ग) एवं (घ): सरकार आर्थिक अनुसंधान इकाई (ई आर यू) के जरिए विश्व के स्टील बाजार में विकासों की नियमित रूप से निगरानी करती है और संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) स्टील उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है। जब कभी आवश्यकता महसूस की गई तो इसने इस्पात उत्पादों आदि पर आयात शुल्क को बढ़ाने जैसी अग्रसक्रिय कार्रवाई की है।

(ड.) इस्पात उद्योग में प्रतिस्पर्धा उत्पादन को सहयोग देने और क्षमता में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड(आरआईएनएल) और एमएमडीसी लिमिटेड नामक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) अपने ब्राउनफील्ड/ग्रीनफील्ड स्थलों पर क्रूड/ फिनिश्ड स्टील क्षमताओं में महत्वपूर्ण विस्तार का क्रियान्वयन कर रहे हैं।

(ii) स्टील क्षेत्र में प्रभावी समन्वय तथा विभिन्न निवेश परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा एक अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) की स्थापना की गई है।

(iii) इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्रियों यथा – कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल, स्क्रैप आदि का आयात शून्य अथवा बहुत कम सीमा शुल्क की शर्त पर किया जाता है।

(iv) घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करने और घरेलू और अयस्क की उपलब्धता को सुधारने के लिए लौह अयस्क के निर्यात पर शुल्क को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया गया है।

(v) इस्पात मंत्रालय वृद्धि के मार्ग की बाधाओं से उद्योग को अवगत कराने के लिए नियमित रूप से उद्योग को परामर्श देता है और जब कभी आवश्यक होता है तो अन्य संबंधित मंत्रालयों के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करता है।

****